न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या :—323/2010

वादीगण :—

1. बींजाराम पुत्र गमनाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. वसनाराम पुत्र गमनाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. देवाराम पुत्र गमनाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. मृतक गोबररराम पुत्र गमनाराम के वारिसानः—
   4/1 भवराराम पुत्र गोबररराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
   4/2 कालूराम पुत्र गोबररराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
   4/3 उकडीदेवी बेवा गोबररराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :—

1. वरदाराम पुत्र गमनाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. बदकीदेवी पत्नी खीमाराम जाति चौधरी निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. सारीदेवी पत्नी शंकररराम जाति चौधरी निवासी रामपपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. सुखीदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति चौधरी निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. मांगाराम पुत्र गुलाबाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. मकाराम पुत्र गुलाबाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

::निर्णय::

उपस्थित

1 श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता वादीगण
2 श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 1
3 प्रतिवादी संख्या 2 से 7 एकपक्षीय

दिनांक :— 11.08.2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण द्वारा यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88,188 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त खातेदारी भूमि ग्राम रामपुरा तहसील समदडी में खसरा संख्या 14 व 223 रकबा 20.11 व 14.10 बीघा कुल 35.01 बीघा भूमि आई हुई है, वादग्रस्त आराजी में वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का संयुक्त कब्जा काश्त

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

1/3 हिस्से पर है,वादीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के 1/3 हिस्से के बाबत खातेदारी अधिकार व रेकर्ड दुरूस्ती का अनुतोष का ही वादपत्र में अंकन किया है, वादग्रस्त भूमि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 के दादा स्व.फताराम की थी, स्व.फताराम का वंश वृक्ष सजरा निम्न प्रकार है।

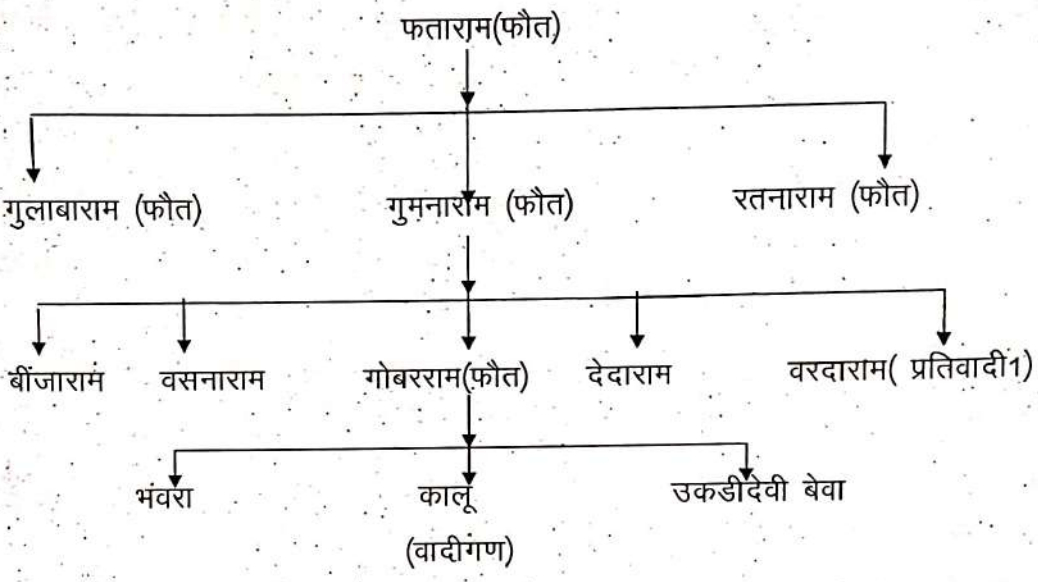

वादग्रस्त आराजी वक्त जागीर स्वर्गीय फताराम के कब्जा काश्त की थी तथा वक्त सेटलमेंट फताराम जीवित थे, गुमनाराम को उक्त वादग्रस्त आराजी पैतकृ सम्पत्ति के रूप में एक विरासत की सम्पत्ति बतौर विधिक वारिस फतारामजी के कब्जा काश्त मे अर्जित हुई उक्त आराजी गुमानाराम के किसी प्रकार से स्व अर्जित या खरीदसुदा या निजी सम्पत्ति के रूप में नहीं थी वादीगण के पिता गुमनाराम के समय वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का सामलाती संयुक्त हिन्दू परिवार था, प्रतिवादी संख्या 1 ने वादीगण की अनुपस्थित में स्व.गुमनाराम के बिना कोई तथ्य नोटिस में लाए एक फर्जी वसीयतनामा दिनांक 09.10.1995 को तैयार करवा कर उक्त वसीयतनामा का पंजीयन उप पंजीयक कार्यालय सिवाना में करवा दिया जिसमें रामपुरा ग्राम के कोई व्यक्ति साथ में नहीं था उक्त वसीयतनामा में ग्राम सिवाना का अलाहबक्स खां व ग्राम कुसीप के वीराराम का साक्षी के रूप में साख दिलवाई है,वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 बतौर विधिक वारिस होने से हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी में 1/5–1/5 हिस्सा राजस्व रेकर्ड में दर्ज होना चाहिए था परन्तु हल्का पटवारी ने उक्त वसीयतनामा के बिना कोई जांच किये प्रश्नगत वसीयतनामे के रूह में नामान्तरकरण अकेले प्रतिवादी संख्या 1 वरदाराम के नाम का दर्ज कर दिया जो कानूनन अवैध अनुचित एवं विधि विरूद्ध होने से काबिल [illegible] है। हल्का पटवारी द्वारा गुमनाराम के विधिक वारिसान की जांच किये बिना [illegible] वसीयतनामा के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 26.12.1997 को स्वीकृत करवा दिया गया तथा ऐसे नामान्तरकरण को स्वीकृति हेतु तहसीलदार की अनुमति लेना कानूनी रूप से आवश्यक होता है। वादीगण व प्रतिवादीगण गुमनाराम के जीवनकाल में 1/5–1/5 हिस्से

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना
Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested
सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

नुसार मौके पर कायम है, प्रश्नगत नामान्तरकरण पारित करने से राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज हो गया है राजस्व रेकर्ड में गलत प्रविष्टि को दुरूस्त करते हुए ग्राम रामपुरा तहसील समदडी में खसरा संख्या 14 व 223 रकबा 20.11 व 14.10 बीघा कुल 35.01 बीघा भूमियों के राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्से को निरस्त करते हुए वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित कर इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किया जावे।

वादीगण का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर सम्मन जारी किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया,। अधिवक्ता श्री कपिल श्रीमाली द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 वरदाराम की तरफ से वकालतनामा व वादीगण के वाद–पत्र को अस्वीकार करते हुए जवाबदावा पेश किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 से 7 के विरूद्ध बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वाद में उभयपक्षकारन द्वारा पेश अभिवचनों के आधार पर निम्नानुसार विवाद्यक विरचित किए गए–

तनकी संख्या 1–आया वादी मौजा रामपुरा के खेत खसरा संख्या 14,223 रकबा 20.11,14.10 कुल 35.01 में 1/3 हिस्से की भूमि के खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है ? (जिम्मे वादीगण)

तनकी संख्या 2 आया वादी विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ? (जिम्मे वादीगण)

तनकी संख्या 3 आया वादग्रस्त भूमि गुमानाराम की स्वअर्जित भूमि होने से गुमनाराम द्वारा वसीयत के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तान्तरित करने से उक्त वसीयतनामा का निर्धारण का क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय को होने से वादपत्र क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पेश योग्य नहीं है ? (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

वादीगण की ओर सै वाद से वादपत्र को साबित करने के लिए साक्ष्य पी.डब्लयू 1 कालूराम, पी.डब्लयू 2 वशनाराम के सशपथ पत्र बयान लेखबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 1,संवत् 2009 की खतौनी प्रदर्श 2 व 3 तथा वसीयतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवाए गए। प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य गवाहन डी.डब्लयू 01 वरदाराम के बयान कलमबद्ध करवाए गए तथा दस्तावेजी साक्ष्य खसरा नम्बर 14 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 1,खसरा संख्या 223 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 4, संवत 2009 की खतौनी प्रदर्श ए 3 व ए 5,खसरा बंदोबस्त प्रदर्श ए 6, वसीयतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए 6 प्रदर्शित करवाए गए।

हमने उभयपक्षकारन के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी।

वक्त बहस वादीगण वकील ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 14 रकबा 20.11 बीघा व खसरा संख्या 223 रकबा 14.10 बीघा कुल रकबा 35.01 बीघा सरहद मौजा रामपुरा तहसील समदडी में स्थित भूमि के बाबत

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

.तेदारी अधिकार की घोषणा व प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 20.12.1997 को अपांस्त करने बाबत् वादपत्र प्रस्तुत किया है, प्रतिवादी संख्या 1 ने वादग्रस्त आराजी जो कि प्रश्नगत वसीयत दिनांक 09.10.1995 के जरिये नामान्तकरण संख्या 416 दिनांक 20.12.1997 से वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्सा भूमि का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत रामपुरा से स्वीकृत करवाकर अपना हिस्सा दर्ज करवाया जो पूर्णतया गलत दर्ज करवाया है। उक्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 तथा वादीगण संख्या 1 ता 4 का भी संयुक्त हिस्सा विद्यमान है, वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्य न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जितेन्द्रसिह बनाम स्टेट ऑफ मध्यप्रदेश 2021 (3) की नजरी पेश कर कथन किया कि ''भू–राजस्व मामला, राजस्व अभिलेख में नामान्तरकरण प्रविष्ठियां के आधार पर दावा, नामान्तरकरण प्रविष्ठि इस व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकर स्वत्व या हित प्रदान नहीं करती हैं इतः राजस्व अभिलेख में प्रविष्ठि केवल राजकर से सम्बन्धित प्रयोजनार्थ ही है। यदि स्वत्व सम्बन्धित कोई विवाद हो तो विशेषकर जब नामान्तरकरण की प्रविष्ठि वसीयत के आधर पर करनी चाही गई हो तो वह पक्षकार जो वसीयत के आधार पर स्वत्व /हक कादावा कर रहा हो तो उसे समुचित सिविल न्यायालय के समक्ष जाना होता है और अधिकारों की ठोस बनाना होता है;और केवल उसके बाद ही सिविल न्यायालय के समक्ष निर्णय के आधार आवश्यक नामान्तकरण प्रविष्ठि की जा सकती है।'' वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने लिखित बहस में अंकित पदो दोहराते हुए कथन किया कि प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 416 दिनांक 20.12.1997 को ग्राम पंचायत रामपुरा द्वारा स्वीकृत किया गया के आधार पर राजस्व रेकर्ड में प्रविष्ठि की गई है अर्थात उक्त वसीयत दिनांक 0.10.1995 जो कि स्वंय विवादित रही है ''माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय के पैरा संख्या 5 में यह स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि जैसा भी हो,कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार नामान्तरकरण प्रविष्ठि व्यक्ति के पक्ष में कोई अधिकार ,शीर्षक या हित प्रदान नहीं करती है और राजस्व रेकर्ड में नामान्तकरण प्रविष्ठि केवल राजकोषीय उद्देश्य के लिए होती है। कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार, यदि शीर्षक के सम्बन्ध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर नामान्तकरण प्रविष्ठि की मांग की जाती है तो वसीयत के आधार पर शीर्षक/अधिकार का दावा करने वाले पक्ष को उचित सिविल न्यायालय से संपर्क करना होगा और अपने अधिकार को स्पष्ट करना होगा और उसके बाद ही सिविल न्यायालय के समक्ष निर्णय के आधार पर आवश्यक नामान्तरकरण प्रविष्टि की जा सकती है।'' प्रतिवादी संख्या 1 ने प्रश्नगत नामा[illegible] आधार पर अपने नाम की प्रविष्टि राजस्व रेकर्ड मे दर्ज कर[illegible]क्त वसीयत को पेश कर अपने अधिकारों को [illegible] नहीं करवाया [illegible] अभाव में प्रतिवादी के नाम को जो नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया है [illegible]बिल अपास्त का है,उसके नाम से जो इन्द्राज हुआ है उसे कोई अधिकार प्रतिवादी को अर्जित नहीं होते है। वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस के अभिकथनों को जारी रखते हुए आगे कथन किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
S.D.O) सिवाना

, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नें यह मत बलवंतसिंह बनाम दौलतसिंह (1997) 7 एस.सी.सी. 137 में भी स्पष्ट मत व्यक्त किया है कि राजस्व रेकर्ड में संपति का म्यूटेशन न तो संपति का मालिकाना हक बनाता है और न ही समाप्त करता है और न ही इसका मालिकाना हक पर कोई अनुमानित मूल्य है, ऐसी प्रविष्ठियां केवल भू राजस्व एकत्र करने के उद्देश्य से प्रासंगिक है। लिहाजा वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी ग्राम रामपुरा के खसरा संख्या 14 व 223 रकबा 20.11 व 14.10 बीघा के 1/3 हिस्से में प्रतिवादी संख्या 1 क साथ वादीगण संख्या 1 से 4 का 1/5–1/5 हिस्सा घोषित करते हुए प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने का आदेश फरमावे।

प्रतिवादी संख्या 1 के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजी ग्राम रामपुरा के खसरा संख्या 14 व 223 रकबा 20.11 व 14.10 बीघा वक्त सेटलमेंट से गुमनाराम के कब्ज काश्त की खातेदारी भूमि है ,माफिक खातेदारी हक हकूक गुमनाराम के द्वारा अपने जीवनकाल में प्रतिवादी की सेवा चाकरी से खुश होकर पंजीकृत वसीयतनामा के जरिये वादग्रसत आराजी भूमि का हक प्रतिवादी संख्या 01 के हक मे दिया गया साथ हीं वादग्रस्त आराजी बाबत पंजीकृत वसीयतनामा को सक्षम न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं देने से वसीयतनामा के यथावत कायम है । वादीगण द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत/दस्तावेज पेश नहीं किये गये है जिसमें वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 वादग्रस्त आराजी पर संयुक्त रूप से काबिज हो। लिहाजा प्रतिवादी का जवाब व लिखित बहस के आधार पर वादीगण का वाद खारिज फरमाया जावे। प्रतिवादी नें अपने लिखित बहस के समर्थन व RRT.2018(2) Page 848 Veerpal Singh v/s Jora Singh, RRT.2010(18) Page 1443 Naval Kishore v/s Om Prakash, RRT.2010(2) Page 936 Mathura Lal V/s Ganesh Lal, RRT.2020(1) Page 271 Prem Kumar V/S Shymal दृष्टांत प्रस्तुत किये ।

हमने उभयपक्षकरान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को ध्यानपूर्वक सुना और उस मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकर्ड, दस्तावेजात, बयानात एवं न्यायिक दृष्टांतो का गम्भीतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि मानकर हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार घोषित करने का निवेदन किया व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वसीयत के विधिक एवं कानूनन होने का कथन किया । प्रकरण के निस्तारण हेतु पत्रावली पर कायम निम्न तनकीयात का विवेचन किया जाना आवश्यक है ।

आया वादी मौजा रामपुरा के खेत खसरा संख्या 14,223 रकबा 20.11,14.10 कुल 35. 01 में 1/3 हिस्से की भूमि खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है ? (जिम्मे वादीगण)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था, वादीगण ने उक्त तनकी को सिद्ध करने के लिए पी.डब्लयू 1 कालूराम, पी.डब्लयू 2 वशनाराम के सशपथ पत्र बयान

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

,खबद्ध कराए गए तथा वादीगण की ओर से दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 1,,संवत् 2009 की खतौनी प्रदर्श 2 व 3 तथा वसीयतयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 4 प्रस्तुत किये । वादी गवाह पी.डब्लयू 1 कालूराम ने जिरह के दौरान कथन किया है कि उक्त वसीयत फर्जी है वसीयत से पूर्व ही गुमनाराम जी का देहान्त हो चुका था,उक्त वसीयत फर्जी है के सम्बन्ध में किसी प्रकार की विधिक कार्यवाही नहीं की गई। वादी गवाह पी.डब्लयू 1 कालूराम ने आगे कथन किया है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा स्व. फताराम की है, अज खुद कहा कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत खतौनी प्रदर्श 1,संवत् 2009 की खतौनी प्रदर्श 2 व 3 गमनाराम व रतनाराम वल्द फता की खातेदारी की है वादीगण द्वारा स्व. फताराम की खातेदारी की हो ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1 वरदाराम ने अपने सशपथ बयान में कथन किया है कि वादीगण के नाम से सरहद मौजा रामपुरा में खसरा संख्या 189, 190/2, 190/1, 184/4 व 199/7,195/3 आवंटन के प्राप्त हुए एवं प्रतिवादी संख्या 1 को गुमनाराम का छोटा पुत्र होने व उनकी सेवाचाकरी करने के कारण गुमनाराम द्वारा उनके जीवनकाल में जरिये वसीयत वादग्रस्त भूमि दी गई। वादग्रस्त भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 काबिज काश्त है, प्रतिवादी संख्या 1 ने जिरह में कथन किया है कि वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी के पिता के द्वारा स्व अर्जित नहीं थी,वक्त सेटलमेन्ट से प्रतिवादी संख्या 1 पिता गुमनाराम काबिज थे, वसीयत के आधार पर गुमनाराम का सम्पूर्ण हिस्सा प्रतिवादीं संख्या 1 का बनता है, प्रतिवादी संख्या 1 ने अपने जिरह में कथन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के दादा फताराम की कब्जा काश्त की नहीं होने से प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गुमनाराम का पैतृक सम्पत्ति के रूप मे अर्जित नहीं होने से गुमनाराम के सभी पुत्रो बराबर अधिकार नहीं है।

हमने वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 1,संवत् 2009 की खतौनी प्रदर्श 2 व 3 तथा वसीयतयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श 4 व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज खसरा नम्बर 14 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 1,खसरा संख्या 223 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 4, संवत 2009 की खतौनी प्रदर्श ए 3 व ए 5,खसरा बंदोबस्त प्रदर्श ए 6, वसीयतनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श ए 6 का गंभीरता से अवलोकन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 1,संवत् 2009 की खतौनी प्रदर्श 2 व 3 व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज ,खसरा नम्बर 14 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 1,खसरा संख्या 223 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 4, संवत 2009 की खतौनी प्रदर्श ए 3 व ए 5,खसरा बंदोबस्त प्रदर्श ए 6 से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता की खातेदारी भूमि है वादीगण द्वारा ऐसा एक भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो कि वादग्रस्त आराजी वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के दादा स्व. फताराम की हो और फताराम के देहान्त के पश्चात वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि के रूप में गुमनाराम को प्राप्त हुई हो। वादीगण तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से स्पष्ट है

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

कि वादग्रस्त भूमि स्व. गुमानाराम कीं खातेदारी की है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रदश 4 व प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 6 ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को गुमनाराम द्वारा वसीयत करवाने से प्राप्त हुई तथा उक्त वसीयत या उक्त वसीयत के आधार पर भरे गये नामान्तरकण संख्या 416 को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में किसी भी सक्षम न्यायालयं में चुनौती नहीं दी गई है। वादीगण यह सिद्ध नहीं कर पाये कि उक्त भूमि पैतृक भूमि होने के कारण वादीगण का प्रतिवादी संख्या 1 के समान अधिकार प्राप्त हो। लिहाजा उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध तथा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निस्तारित की जाती है। जहां तक प्रश्न वादीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत का है तो उक्त दृष्टांत यदि कोई कानून के स्थापित प्रस्ताव के अनुसार,यदि शीर्षक के सम्बन्ध में कोई विवाद है और विशेष रूप से जब वसीयत के आधार पर नामान्तकरण प्रविष्ठि की मांग की जाती है तो वसीयत के आधार पर शीर्षक/अधिकार का दावा करने वाले पक्ष को उचित सिविल न्यांयालय से संपर्क करना होगा और अपने अधिकार को स्पष्ट करना होगा और उसके बाद ही सिविल न्यायालय के समक्ष निर्णय के आधार पर आवश्यक नामान्तरकरण प्रविष्टि की जा सकती है। किन्तु हस्तगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वसींयतं के आधार शीर्षक/अधिकार का दावा नहीं किया गया है । लिहाजा वादीगण द्वारा प्रस्तुत उक्त दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में लागू नहीं होते है।

तनकी संख्या 2 आया वादी विवादित भूमि के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है ? (जिम्मे वादीगण)

चूंकि तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध निस्तारित कर दी गई है लिहाजा उक्त तनकी में पाया गया अनुतोष वादीगण को प्राप्त नहीं होने से उक्त तनकी वादीगण के विरूद्ध निस्तारित की जाती है।

तनकी संख्या 3 आया वादग्रस्त भूमि गुमानाराम की स्वअर्जित भूमि होने से गुमनाराम द्वारा वसीयत के जरिये प्रतिवादी संख्या 1 को हस्तान्तरित करने से उक्त वसीयतनामा का निर्धारण का क्षेत्राधिकारी सिविल न्यायालय को होने से वादपत्र क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत पेश योग्य नहीं है ? (जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1)

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी संख्या 1 का है,प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त तनकी के समर्थन में प्रतिवादी संख्या 1 के बयान व प्रतिवादी साक्ष्य दस्तावेज खसरा नम्बर 14 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 1,खसरा संख्या 223 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 4, संवत 2009 की खतौनी प्रदर्श [illegible] ए 5,खसरा बंदोबस्त प्रदर्श ए 6, वसीयतनामा की प्रमाणित [illegible] पेश किया । प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य दस्तावेज खसरा न[illegible] 14 की पर्चा [illegible] ए 1,खसरा संख्या 223 की पर्चा खतौनी प्रदर्श ए 4, संवत 2009 की ख[illegible] प्रदर्श ए 3 व ए 5 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमियां भूमि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता गुमनाराम की स्व अर्जित भूमि है उक्त भूमियां गुमनानाराम के पिता व वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

दादा स्व. फताराम के नाम की खातेदारी की नहीं है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श 6 ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त भूमियां गुमनाराम द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में किये गये रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा तथा उक्त रजिस्टर्ड वसीयत के द्वारा भरे गये नामान्तकरण की रूह में प्राप्त हुई। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत RRT.2018(2) Page 848 Veerpal Kour v/s Jora Singh, में वर्णित किया है कि वसीयत निष्पादन के पश्चात हिन्दू उत्तराधिकारी की धारा 8 के लागू नहीं होगी तथा वसीयत को शून्य घोषित करने के अधिकार केवल सिविल कोर्ट को है,इस्तगत प्रकरण में गुमानाराम के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निष्पांदित की गई,रजिर्स्टड वसीयतनामा को शून्य घोषित किये जाने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही अर्जित है अतः हस्तगत प्रकरण में उक्त दृष्टांत पूर्णतया चस्पा होती है, RRT.2010(18) Page 1443 Naval Kishore v/s Om Prakash में वर्णित किया है कि अधिनियम की धारा 39 के अनुसार एक खातेदार कृषक उसकी खातेदारी भूमि के समस्त या किसी भाग में अपने हिस्सें को उस स्वीय विधि के अनुसार जिसके वह अध्यधीन है वसीयत कर सकेगा, हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमियां प्रतिवादी के पिता की स्व अर्जित भूमियां है जो कि दस्तावेजी साक्ष्य से स्पष्ट प्रतीत होता है तथा गुमानाराम द्वारा वादग्रस्त आराजी की वसीयत प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित किये जाने से उक्त दृष्टांत हस्तगत प्रकरणा में पूर्णतया चस्पा होती है RRT.2020(1) Page 271 Prem Kumar V/S Shymal में वर्णित किया है कि No question of succession arise till teh registerd will is in existence ,Suit isnot maintainable befor the Revenue Court without cancelling the Will प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दृष्टांत से यह सिद्ध किया है कि रजिर्स्टड वसीयतनामा को सुनने के अधिकारी हस्तगत न्यायालय को नहीं है उसे केवल सिविल न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त तनकी पूर्णतया अपने पक्ष में सिद्ध किया है।

4. अनुतोषः– उपर्यक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि वादीगण द्वारा तनकी संख्या 1 व 2 को साबित करने में सफल नहीं हो पाये है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा तनकी संख्या 3 को साबित करने में बखूबी सफल रहा है । अतः वादीगण का वाद –पत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के परिप्रेक्ष्य में उक्त विवेचना के आधार पर वादीगण का वादपत्र अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 11.08.2025 को [illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर (S.D.O.) सिवाना

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) सिवाना

डिक्री व मुकद्दमे इब्तदाई

(ओ. 20 रू. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'D'-1)

अज अदालत सहायक कलक्टर (S.D.O.) मुकाम सिवाना (बालोतरा) व
बइजलास श्री सुरेन्द्र सिंह खंगारोत आर.ए.एस

जस्व प्रकरण संख्या 323 / 2010

वादीगणः–

1. बींजाराम पुत्र गमनाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. वसनाराम पुत्र गमनाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. देवाराम पुत्र गमनाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. मृतक गोबररराम पुत्र गमनाराम के वारिसानः–
   4 / 1 भवरराम पुत्र गोबररराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
   4 / 2 कालूराम पुत्र गोबररराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
   4 / 3 उकडीदेवी बेवा गोबररराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. वरदाराम पुत्र गमनाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
2. बदकीदेवी पत्नी खीमाराम जाति चौधरी निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
3. सारीदेवी पत्नी शंकरराम जाति चौधरी निवासी रामपपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
4. सुखीदेवी पत्नी दुर्गाराम जाति चौधरी निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
5. मांगाराम पुत्र गुलाबाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
6. मकाराम पुत्र गुलाबाराम जाति प्रजापत निवासी रामपुरा तहसील समदडी जिला बालोतरा
7. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार समदडी

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक : –11.08.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू अधिवक्ता श्री नरपतसिंह भाटी अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दई श्री कपिल श्रीमाली अधिवक्ता मिनजानिब मुद्दायलंह पेश होकर डिगरी दी जाती है कि वादीगण का वाद तनकी संख्या 1 व 3 वादीगण के विरूद्ध निस्तारित किये जाने के कारण खारिज किया जाता

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 11.08.2025 को जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Surendra Singh Khangarot
Date: 2025.11.02 17:39:07 IST
Reason: SelfAttested

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
सहायक कलक्टर
(S.D.O.) सिवाना

सहायक कलक्टर (S.D.O.) सिवाना